नवीन प्रकरण- 1521/2018

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर [म0प्र0]

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1521

प्रकरण क्रमांक . /2017-18 पुनरीक्षण

[1] मालमसिंह पुत्र स्व0श्री रामप्रसाद दाँगी निवासी ग्राम धनौरा चौबीसा तहसील-गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 --पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

[1] रन्धीरसिंह पुत्र स्व0श्री रामप्रसाद दाँगी निवासीग्राम धनौरा चौबीसा तहसीलगुलाबगंज

[2] श्रीबाई पुत्री स्व0श्रीरामप्रसाद दाँगी पत्नि श्रीअमानसिंह दाँगी निवासीग्राम कराखेड़ी तहसील व जिला विदिशा म0प्र0.. अनावेदकगण

लखन सिंह धाकड़, अधि- 05/3/18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

03/03/18
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2018 पारित न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महोदय ग्यारसपुर के प्रकरण क्रमांक 87/अपील/-2016-17 व मामले रन्धीरसिंह बनाम मालसिंह आदि ग्राम धनौरा चौबीसा तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959/

==

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक व अनावेदक क्रमांक एक सगे भाई हैं और अनावेदिका क्र0 दो आवेदक-अनावेदक की सगी बहिन है । शासकीय अभिलेख में आवेदक एवं अनावेदकगण का नामांत्रण चला आता है और यह नामांत्रण होते हुए आवेदक अपनी भूमि पर मालिक काबिज है ।

यहाँ ग्राम धनौरा चौबीसा पटवारीह0नं0 15 तहसील गुलाबगंज में काशीबाई वेवा रामप्रसाद के नाम से कृषिभूमि खसरानंबर 42/1/2 रकवा 0.095 हे0, 71/1 रकवा 0.881 हैक्टर, 156/4 रकवा 1.047 हे0, कुलनंबर तीन कुलरकवा 2.023 हैक्टर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1521/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ एवं अनावेदक क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.पी.एस. चौहान उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.12.18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	